कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–456 /FP/UK/ROAD/11576/2015 :देहरादून:दिनांक: 14/8/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–पौड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रौली से कुणेथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रॉक–8बी/यू.सी.पी./06/271/2015/एफ0सी0/2073 दिनांक 14–03–2017.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक–3145/12–1 दिनांक 21–04–2018 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. भारत सरकार की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.936 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रूपये 25,17,107.00 मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।

   भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–कुणेथ 9.936 है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण हेतु शर्त अधिरोपित की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग के पत्रांक 1127/12–1 दिनांक 13–10–2017 **(संलग्नक–1)** के अनुसार ग्राम–कुणेथ सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न पाये जाने के कारण ग्राम–मरगुण 9.936 है0 सिविल सोयम भूमि उपयुक्त पाये जाने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम–मरगुण की उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक–2)

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रूपये 32,63,976.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होने पर देय धनराशि जमा किये जाने के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि रू0 57,81,083.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है। रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation हेतु वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–5)

क्रमशः

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में District Profile की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–6)
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम–मरगुण का डिजिटल एवं जियो रेफिरेन्स मैप एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा प्रदत्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता की प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–7)

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– / FP/UK/ROAD/11576/2015 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड, बैंजरो, पौड़ी गढ़वाल।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी